राष्ट्रीय आवास बैंक
NATIONAL HOUSING BANK

एनएचबी(एनडी)/आरएंडपीएफडी/2019-20
02 जून, 2020

सभी पात्र प्राथमिक ऋणदाता संस्थान

महोदय/महोदया,

संशोधन - विशेष चलनिधि सुविधा (एसआरएफ) योजना

कोविड-19 महामारी के मद्देनजर, भारतीय रिज़र्व बैंक ने राष्ट्रीय आवास बैंक को 10,000 करोड़ रुपये की एक विशेष चलनिधि सुविधा प्रदान की है, जिससे कि बैंक आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) के माध्यम से आवास क्षेत्र में चलनिधि की तरलता को बनाये रखे एवं इसके साथ ही अन्य प्राथमिक ऋणदाता संस्थानों को अधिक सस्ती दरों पर निधि और क्षेत्र की ऋण सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा कर सके।

2. राष्ट्रीय आवास बैंक ने 29 अप्रैल, 2020 को **विशेष चलनिधि सुविधा (एसआरएफ) योजना** शुरू की। योजना के तहत पात्रता मानदंड और अन्य पैरामीटर बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।
3. योजना का उद्देश्य आवास वित्त कंपनियों और अन्य पात्र प्राथमिक ऋणदाता संस्थानों को अल्पकालिक पुनर्वित्त सहायता प्रदान करना है जो उनके चलनिधि जोखिम को आंशिक रूप से कम करेगा और समग्र आवास वित्त प्रणाली में आवश्यक चलनिधि में सुधार करेगा।
4. भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 23 मई, 2020 के अपने परिपत्र के माध्यम से नियामक छूट को बढ़ाने का फैसला किया है जिसके अंतर्गत बढ़ते हुए लॉकडाउन को देखते हुए आवास वित्त कंपनियां और अन्य पात्र प्राथमिक ऋणदाता संस्थान उनसे सम्बंधित घटकों को अतिरिक्त तीन माह अर्थात 01जून 2020 से 31 अगस्त 2020 तक ऋण स्थगन की सुविधा प्रदान कर सकते हैं।
5. राष्ट्रीय आवास बैंक ने **विशेष चलनिधि सुविधा (एसआरएफ) योजना** के कुछ मापदंडों को संशोधित किया है। संशोधित मापदंडों का विवरण निम्नानुसार हैं:

क्रम सं	**मापदंड**	**संशोधन**
1	पात्र संस्थान	एचएफसी/आरआरबी/एसएफबी/एससीबी निम्नलिखित सहित, पुनर्वित्त की एलआरएस योजना के तहत पुनर्वित्त के लिए पात्र होगें: • अधिकतम निवल एनपीए में छूट की सीमा 7.50% (3.5 के स्थान पर) • **कुल आस्तियों की तुलना में वैयक्तिक आवास ऋण के अनुपात में अधिकतम 10% तक छूट, अर्थात, न्यूनतम 41% (51% के स्थान पर)** • यह छूट केवल एसआरएफ के उद्देश्य के लिए लागू है। • आवास वित्त कंपनी/प्राथमिक ऋणदाता संस्थान द्वारा अपने ग्राहकों को ऋण स्थगन की सुविधा प्रदान की गयी होनी चाहिए और इसका ऋण स्थगन की अवधि के दौरान आवास वित्त कंपनी/प्राथमिक ऋणदाता संस्थान के नकदी प्रवाह के कम से कम 15% पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना चाहिए।

भारत सरकार के अंतर्गत सांविधिक निकाय
कोर 5-ए, तीसरे से पांचवां तल, इंडिया हैबिटेट सैंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003
दूरभाष : 011-3918 7000 फैक्स : 011-2464 9030
वेबसाईट : www.nhb.org.in ई.मेल : ho@nhb.org.in
Statutory Body under the Government of India
Core 5-A, 3rd to 5th Floor, India Habitat Centre, Lodhi Road, New Delhi-110003
Phone : 011-3918 7000 Fax : 011-2464 9030
Website : www.nhb.org.in E-mail : ho@nhb.org.in

"बैंक हिन्दी में पत्राचार का स्वागत करता है"

2	वैयक्तिक प्राथमिक ऋणदाता संस्थान को अधिकतम संवितरण योग्य राशि	• <u>**प्राथमिक ऋणदाता संस्थान या राष्ट्रीय आवास बैंक की निवल स्वाधिकृत निधि का 30%, या जो भी कम हो, परन्तु अधिकतम 2,000 करोड़ रुपये**</u> • ऋण स्थगन की अवधि के दौरान आवास वित्त कंपनी/प्राथमिक ऋणदाता संस्थान के नकदी प्रवाह पर पड़े ऋण स्थगन के प्रभाव के मूल्यांकन पर आधारित राशि पात्र होगी
3	पुनर्वित्त के लिए प्रतिभूति	• <u>**दृष्टि बंधक ऋण विलेख या नकारात्मक धारणाधिकार जो भी लागू हो।**</u> • इसके अलावा, आवास वित्त कंपनी/प्राथमिक ऋणदाता संस्थान को मांग वचन पत्र पर हस्ताक्षर करना होगा। • आहरण के समय, प्राथमिक ऋणदाता संस्थान चिन्हित ऋण सूची प्रदान करेगा और यह भी वचन देगा कि इन ऋणों पर कोई शुल्क नहीं लगेगा (राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 के 16ख के तहत कवर किया जाएगा)। • 100% तक की सुविधा के लिए केवल मानक खातों को ही चिह्नित किया जा सकता है।

6. **विशेष पुनर्वित्त सुविधा में निर्धारित अन्य सभी नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।**

भवदीय,

-ह-
महाप्रबंधक
पुनर्वित्त एवं परियोजना वित्त विभाग